राजस्थान सरकार
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन
संस्थान,जयपुर
H.C.M. Rajasthan State Institute of Public Administration
JawaharLal Nehru Marg, Jaipur-302 017 ❑ Rajasthan ❑ India

क्रमांक एफ.1(53)संस्था–तृतीय / रीपा / अनु.नियुक्ति / 2024 / 19109 दिनांक 10/01/2025

## कार्यालय–आदेश

राज्य सरकार के राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अनुसार एच.सी.एम.रीपा, जयपुर में श्री कैलाश चन्द, वेटर कम रूम अटेंडेंट की सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण श्रीमती कमला देवी पत्नी स्वर्गीय श्री कैलाश चन्द को वित्त (नियम) विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)वित्त / नियम / 2017 दिनांक 30.10.2017 के शिड्यूल iv में वर्णित सेवा शर्तो के अनुसार एच.सी.एम.रीपा, जयपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पद पर उपस्थित होने के दिनांक से पे–मैट्रिक L-1 (रनिंग पे बैण्ड पी.बी.1) (5200–20200) (ग्रेड–पे 1700 / –) में दो वर्ष के परिवीक्षा काल पर 12400 / – रूपये प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक पर अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त इन्हें किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा। इनकी जन्म तिथि जन्म प्रमाण–पत्र के अनुसार 01.01.1974 है। उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:–

1. संस्थान में कार्यग्रहण करते समय मेडीकल ज्यूरिष्ट का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
2. राजस्थान सरकार द्वारा जारी नियमानुसार पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
3. परिवीक्षा काल में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
4. नियत वेतन (फिक्स वेतन) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
5. इनको कार्यग्रहण करने से पूर्व 50 / – रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन–पत्र पर दी गई समस्त सूचनाएँ एवं संलग्न किये गये दस्तावेज एवं प्रमाण–पत्र सत्य है। यदि इनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज / सूचना कूटरचित या अप्रमाणित पाये जाने पर नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा इनकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी एवं प्रार्थी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
6. इनकी नियुक्ति अन्य आश्रितों का उचित तौर पर भरण–पोषण नहीं करने की स्थिति में समाप्त की जा सकती है ।
7. इनके द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल पूर्ण करने के उपरान्त वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे ।
8. संस्थान में कार्यग्रहण करते समय पुलिस वेरिफिकेशन करवा कर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. दो राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित चरित्र प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
10. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 11.05.2023 के अनुसार संविधान के प्रति शपथ का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. धूम्रपान नहीं करने का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डां. प्रभा व्यास) आर.ए.एस
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

ajKaj Ref No.: 12938493

क्रमांक एफ.1(53)संस्था–तृतीय / रीपा / अनु.नियुक्ति / 2024 / 19110-19121 दिनांक 10/01/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, महानिदेशक एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक, एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।
3. निजी सहायक ग्रेड–द्वितीय, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।
4. निजी सहायक ग्रेड–द्वितीय, उपनिदेशक (प्रशासन), एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।
5. श्रीमती कमला देवी, राजकीय आवास संख्या 7 / 10 (5 / 22), परिसर, एच.सी.एम. जयपुर।
6. थाना प्रभारी अधिकारी, गांधी नगर, जयपुर पुलिस वेरीफिकेशन नियमानुसार कर प्रमाण–पत्र भिजवाने की व्यवस्था करें।
7. मेडीकल ज्यूरिष्ट, अस्पताल, जयपुर, राजस्थान।
8. लेखाशाखा, एच.सी.एम. रीपा, जयपुर ।
9. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), एच.सी.एम. रीपा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वे उक्त आदेश को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
10. संस्थापन–द्वितीय / पंचम, एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

Document certified by PRABHA VYAS
<prabhavyas213@gmail.com>

Digitally Signed by Prabha Vyas
Designation : Additional Director
Date :10-01-2025 02:13:06

ajKaj Ref No.: 12938493